विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(2) से अनुमोदित)

1.	**संक्षिप्त नाम**	यह योजना विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।
2.	**योजना का प्रारम्भ और अवधि**	यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होकर 31 मार्च, 2018 तक प्रवर्त रहेगी।
3.	**पात्रता**	यह योजना औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ0वि0/VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में उत्तराखण्ड राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकृत श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले प्रस्तर–1 में अधिसूचित विनिर्माणक तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित नये उद्यमों के लिये लागू रहेगी।
4.	**नये उद्यम की परिभाषा**	नये विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र के उद्यम, स्थाई पूंजी निवेश, प्लाण्ट एवं मशीनरी आदि की वही परिभाषायें मान्य होंगी, जो औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/VII-II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी की गई हैं अथवा समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथा प्रमाणित परिभाषायें।
5.	**उपादान सहायता की मात्रा/सीमा**	1. **श्रेणी–ए** के जनपदों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) तक। 2. **श्रेणी–बी** के जनपदों में स्थापित होने वाले नये पात्र उद्यमों (1) प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 30.00 लाख (रूपये तीस लाख मात्र) तक।

(2) प्रदेश के स्थाई एवं मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य उद्यमियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले नये उद्यमों को कार्यशाला भवन, मशीनरी, संयत्र एवं उपकरणों में किये गये अचल पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत, अधिकतम रू0 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र) तक।

6.	**कार्यशाला भवन, संयंत्र तथा मशीनरी**	1. **भवनः–** केवल उद्यम के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत रूप से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्यम के कार्यशाला भवन में किये गये पूँजी निवेश पर सहायता अनुमन्य होगी। किराये के भवन हेतु कम से कम 10 वर्ष की वैध पंजीकृत किरायेदारी हो। कार्यालय/आवसीय एवं अन्य प्रयोजन हेतु निर्मित भवन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जायेगा, केवल विनिर्माणक/उत्पादन तथा सेवा कार्यों के उपयोग के लिये वांछित आवश्यक कार्यशाला भवन/शेड को ही उपादान हेतु गणना में लिया जाएगा। 2. **मशीनरी संयत्र एवं उपकरणः–** मशीनरी संयत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में उपलब्ध/प्राप्त हो गये हों तथा जिन्हें स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से अधिष्ठापित कर दिया गया हो, को उपादान हेतु अचल पूंजी निवेश के अन्तर्गत लिया जायेगा। अन्य उपकरणों, जिसमें टूल, जिग्स, डाईयॉ तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम, उनकी परिवहन लागत तथा अधिष्ठापन व्यय को भी इसमें शामिल किया जायेगा।
7.	**योजना का क्रियान्वयन व सहायता संवितरण हेतु एजेन्सी**	योजना का क्रियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।
8.	**उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया**	1. नये उद्यम स्थापित करने का आशय रखने वाले उद्यमियों को सर्वप्रथम सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में उद्यमी ज्ञापन भाग–1/एस.आई.ए./आई.ई.एम. फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने से पूर्व सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान योजनान्तर्गत अपने को पंजीकृत

कराना होगा।

2. योजना के अन्तर्गत निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन देना होगा।

- **(i)** उद्यमी ज्ञापन भाग–1, एस.आई.ए., आई.ई.एम.(जैसी भी स्थिति हो) की प्रति।
- **(ii)** सूक्ष्म उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजैक्ट प्रोफाइल तथा लघु, मध्यम व बृहत उद्योगों के प्रकरणों में चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित प्रोजैक्ट रिपोर्ट।
- **(iii)** वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था से यदि परियोजना अनुमोदित हो, तो उसकी प्रति।
- **(iv)** जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रति।
- **(v)** उद्यमी ज्ञापन भाग–2/उत्पादन प्रमाण पत्र।
- **(vi)** उत्तराखण्ड के मूल व स्थाई निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र।
- **(vii)** प्रदूषण अनापत्ति/सहमति पत्र।
- **(viii)** भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/पंजीकृत सेल डीड/लीज डीड/किरायेनामे की प्रति।
- **(ix)** सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति तथा अनुमोदित मानचित्र।
- **(x)** आर्कीटेक्ट/मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा सत्यापित भवन निर्माण सम्बन्धी ऑगणन तथा लागत प्रमाण पत्र (यदि निर्माण लागत रू0 1 लाख से अधिक हो)
- **(xi)** प्लाण्ट एवं मशीनरी का मद/तिथिवार विवरण, निवेशित व्यय, बिल वाउचर तथा भुगतान रसीदों की प्रतियॉ।
- **(xii)** रू0 1 लाख से अधिक का उपादान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का प्रमाण पत्र/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।
- **(xiii)** अन्य वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्र।

3. जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दावे का सूक्ष्म

परीक्षण करते हुये अनुदान की पात्रता का निर्धारण कर सम्पूर्ण प्रकरण स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के साथ जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति/राज्य स्तरीय समिति, जैसी भी स्थिति हो, को अनुशंसा के साथ प्रेषित किया जायेगा।

9. **उपादान सहायता की स्वीकृति/ संवितरण हेतु प्रक्रिया**

1. प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उपादान सहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2008, जिसे कि औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 से जारी किया गया है, में अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य/जिला स्तर पर गठित राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति उत्तरदायी होंगी।

2. नये स्थापित उद्यम को स्वीकृत उपादान सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उद्यम के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति पर वितरित की जायेगी। तथापि ऐसे मामलों में जहॉ राज्य सरकार सरकारी निधियों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुरूप उपादान सहायता की आधे से अनधिक राशि उद्यम के व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टी के अनुरूप उद्यम स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में अवशेष राशि उद्यम द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् ही वितरित की जायेगी।

3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेन्सी द्वारा उपादान सहायता बजट उपलब्धता के आधार पर संवितरित की जायेगी। उपादान संवितरण से पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्थापित नये उद्यम के बीच एक अनुबन्ध/करार किया जायेगा, जिसमें उपादान सहायता की राशि तक की परिसम्पत्तियों, यथाः कार्यशाला भवन, प्लाण्ट व मशीनरी इत्यादि के गिरवी/बन्धक रखना शामिल हो। राज्य सरकार तथा उद्यम के बीच अनुबन्ध/करार हेतु आलेख का निर्धारण कर उसका अनुमोदन निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड के स्तर से किया जायेगा।

10. संवितरण एजेन्सी के अधिकार तथा उपादान प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई का दायित्व	1.	यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि किसी उद्यम ने उपादान हेतु किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्या कथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है अथवा वह उद्यम प्रारम्भ होने से 10 वर्ष के अन्दर उत्पादन बन्द कर देता है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उद्यम को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपादान सहायता वापस करने पर विचार कर सकता है।
	2.	निदेशक उद्योग अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना उद्यम के किसी भी स्वामी को उपादान सहायता प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण उद्यम या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिये या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के अन्दर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
	3.	जिन उद्यमों ने रू0 1 लाख से अधिक का उपादान प्राप्त किया है, उन्हें उपादान प्राप्त होने के वर्ष से 10 वर्ष तक अंकेक्षित लेखे व उत्पादन/विक्रय विवरण प्रस्तुत करने होंगे। रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) से कम उपादान प्राप्त करने वाले उद्यम को उत्पादन व विक्रय की जानकारी देनी होगी।
	4.	उद्यम को व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 10 वर्ष तक अपना उद्यम चालू रखना होगा अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्यम का 6 माह की अवधि तक बन्द रखा जाना उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. अन्य	1.	प्रस्तर–10(1 से 4) का अनुपालन न होने पर उपादान सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू–राजस्व वसूली के सदृश्य 18 प्रतिशत ब्याज सहित की जा सकेगी।
	2.	योजना के किसी बिन्दु पर विवाद होने पर शासन का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।
	3.	योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश तथा किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिये निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।